न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2021 / 26

1. प्रधान पुत्र स्व0 श्री श्योजीराम
2. फूली देवी पुत्री स्व0 श्योजीराम पत्नी श्री ओम प्रकाश
3. सुनीता देवी पुत्री स्व0 श्योजीराम
4. अनीता देवी पुत्री स्व0 श्योजीराम
5. सोनी देवी पत्नी स्व0 श्योजीराम

निवासी ग्राम बाढ अवानिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम पोस्ट धानक्या तहसील व जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र स्व0 बालूराम
2. तेजाराम पुत्र कानाराम
3. बाबूलाल पुत्र कानाराम

निवासी ग्राम बाढ अवानिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक कार्यालय सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दिनांक: 26.03.2021

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका खानदान निम्न प्रकार है :–

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

गिरधारी (फौत)

गन्ना (फौत) | मांग (फौत) | बालूराम (फौत)

बालूराम (फौत): काना | श्योजी (फौत)

श्योजी (फौत): प्रधान(पुत्री) | फूली देवी(पुत्री) | सुनिता(पुत्री) | अनिता(पुत्री) | सोनी देवी(पत्नी)

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति ग्राम बाढ अवानिया भू अभिलेख निरीक्षक बगरू कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके पुराना खाता संख्या 3 व नया खाता संख्या 5 है जिसके खसरा नंबर 51 रकबा 1.88 हैक्टेयर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 2.3100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.24 हैक्टेयर है कुल किता 4 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण श्योजीराम के वारिसान है प्रार्थीगण पुस्तैनी जमीन होने के कारण जन्म से ही अधिकार है और इसी आधार के तहत विवादित जमीन पर हिस्सेनुसार काबिज है। मृतक श्योजीराम काना का छोटा भाई था मृतक का बडे भाई पर पूर्ण विश्वास था वह बडा भाई कानाराम ही संयुक्त परिवार का कर्ता खानदान अप्रार्थी नंबर 1 ही है सभी संयुक्त परिवार के सदस्यो का अप्रार्थी नंबर 1 पर पूर्ण विश्वास था। अप्रार्थी नंबर 1 बतौर कर्ता खानदान संयुक्त परिवार के हित में काम करता था। अप्रार्थी नंबर 1 ने परिवार में कर्ता खानदार की हैसियत से आराजी वर्णित मद नंबर 2 विकसित करने की इच्छा जाहीर कर एक नुमाईसी पांवर ऑफ अर्टोनी प्रार्थीगण के पिता के हिस्से की 1/2 भाग पांवर ऑफ अर्टोनी छोटे भाई श्योजीराम से अपने हक में करवा ली। प्रार्थीगण के पिता अनपढ एवं काश्तकार व्यक्ति थे। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 28.11.2019 को हो गया, स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थीगण ने बतौर वारिसान मृतक श्योजीराम के आधे हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने व राजस्व अंकन अपने हक में करवाने के लिये दिनांक 15.12.2020 को [illegible] का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र संख्या 2020/[illegible] प्रस्तुत किया गया, तब राजस्व अधिकारियो ने प्रार्थना [illegible] कर दिनांक 18.12.2020 को श्योजीराम पुत्र बालूराम के नाम राज[illegible] अंकन के अनुसार मृतक श्योजीराम के कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने की रिपोर्ट की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जिसकी सूचना प्रार्थीगण को दिनांक 21.12.2020 को प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र व उस पर हुई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाने पर हुई जो कि दिनांक 22.12.2020 को प्रार्थीगण को प्राप्त हुई। प्रार्थीगण को कभी जानकारी नही थी कि प्रार्थीगण के पिता के नाम विवादित भूमि वर्णित मद नंबर 2 के आधा भाग की खातेदारी किस आधार पर विलोपित हुई है प्रार्थीगण ने राजस्व अंकन देखने हेतु जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिससे प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 15.10.1993 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम विलोपित कर तेजाराम, बाबूलाल पुत्रान् अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय ने अपने लडको अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम अंकित करवा ली थी। प्रार्थीगण ने नामान्तकरण की प्रतिलिपि प्राप्त की जिससे प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि मुताबिक विक्रय पत्र प्रार्थीगण के पिता श्योजीराम का आधा हिस्सा अप्रार्थी नंबर 1 के पुत्र प्रतिवादी नंबर 2 व 3 के नाम हो गई हैं यह जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 12.10.1993 की प्रमाणित नकल प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने जायन्दा पुत्रो प्रतिवादी नंबर 2 व 3 को 1,85,000/– रूपये में विक्रय करना जाहिर कर कुल प्रतिफल की राशि प्राप्त करना स्वीकार कर कब्जा देना स्वीकार कर, प्रतिवादी नंबर 1 ने अप्रार्थी नंबर 2 व 3 के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादन करवा दिया इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम विलोपित कर अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं ने अपने लडको अप्रार्थी नंबर 2 व 3 के हक में राजस्व अंकन करवा दिया।

वादकारण प्रार्थीगण को दावे में वर्णित तथ्यो की जानकारी होने पर एवं राजस्व अंकन में वर्णित विक्रय पत्र की नकल दिनांक 12.01.2021 को प्राप्त होने पर वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। ?

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि, वादग्रस्त कृषि आराजीयात ग्राम बाढ अवानिया भू अभिलेख निरीक्षक बगरू कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके पु[illegible] संख्या 3 व नया खाता संख्या 5 है जिसके खसरा नंबर [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा [illegible] 3100 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 4.63 हैक्टेयर, भूमि नंबर 58 रकबा 0.24 हैक्टेयर है कुल किता 4 कु[illegible] बैचान–हस्तान्तरण, अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं ऐसे किसी भी लेख्य पत्र का पंजीयन करने से निषेद्ध रहे तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलनदाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत, इत्यादि करने, विशिष्ठ भू–भाग पर कच्चा–पक्का निर्माण करने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। तथा प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल नही करे, ना ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करे।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजात सूची के साथ फोटो प्रति हाल जमाबंदी, फोटो प्रति आवेदन पत्र नामान्तकरण हेतु दिनांक 15.12.2020, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.11.2019, फोटो प्रति वसीयतनामा ग्राम पंचायत धानक्या दिनांक 09.12.2020, फोटो प्रति साबिक जमाबंदी काना श्योजी पुत्रान् बालू, फोटो प्रति नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 15.10.1993, फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058, फोटो प्रति रजिस्ट्री (विक्रय–पत्र) दिनांक 12.10.1993 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. तलब किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की डिलीवर रिपोर्ट प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस टीआई नियत की गई।

बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजियात को अपने कब्जे व खातेदारी की पैतृक अराजी बताते हुये प्रस्तुत वाद/अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2074–2077 खसरा नंबर 51, 52, 57, 58 काश्तकार का नाम काना पुत्र बालू, तेजाराम, बा[illegible] काना जाति जाट दर्ज रिकॉर्ड है। हाल रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण [illegible] है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया [illegible] के पक्ष मे बनता प्रतीत नहीं होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू प[illegible] वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी के पक्ष में होने से इस स्तर पर तुलनात्मक रूप से असुविधा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

व अपूरणीय क्षति प्रार्थी की न होकर अप्रार्थीगण की होना सम्भावित है, यदि रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द किया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner